डब्ल्यू–11031/08/2015–जल 2

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

चौथी मंजिल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कंप्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली 110003
दिनांक 19 फरवरी, 2015

सेवा में

प्रधान सचिव/सचिव
प्रभारी ग्रामीण जल पूर्ति,
सभी राज्य/संघ भाासित क्षेत्र

विशय : वित्तीय वर्श 2015 ओडीए पैकेज के अंतर्गत जापान इंटरनै ानल कोआपरे ा एजेंसी ऋण के लिए जापान सरकार के समक्ष रखने के लिए विचारार्थ परियोजना प्रस्तावों का आमंत्रण

अधोहस्ताक्षर को उपर्युक्त विशय पर आर्थिक मामले विभाग, वित्त विभाग से प्राप्त ओएम सं0 1/1/2015–जापान.1 अग्रेशित करने का निदे ा हुआ है।

2. अतः अनुरोध है कि एसजी निर्धारित प्रपत्र (प्रतिलिपि संलग्न) में जेआईसीए ओडीए ऋण के लिए अपना प्रस्ताव भेजें ताकि उसे डीईए को कम से कम फरवरी 2015 के अंत तक संस्तुत किया जा सके।

भवदीय,
हस्ता/–
राजे ा कुमार
निदे ाक, जल

फाइल सं0 डब्ल्यू–11031/8/2015–जल 2

पावती सं0 : 58198/2015/कार्या. सचिव (डीडब्ल्यूएस)

अति आव यक

कार्यालय ज्ञापन

विशय : वित्तीय वर्श 2015 ओडीए पैकेज के अंतर्गत जापान इंटरनै ानल कोआपरे ा एजेंसी ऋण के लिए जापान सरकार के समक्ष रखने के लिए विचारार्थ परियोजना प्रस्तावों का आमंत्रण

यह विभाग वित्तीय वर्श 2015 ओडीए पैकेज के अंतर्गत जापान इंटरनै ानल कोआपरे ा एजेंसी ऋण के लिए जापान सरकार के समक्ष रखने के लिए विचारार्थ परियोजना प्रस्तावों का आमंत्रण करने की प्रक्रिया में है।

2. भारत को जापानीज ऑफिसियल डेवलपमेंट असिसटेंस (ओडीए) ऋण ''अनटाइड ऋण'' है। इस योजना के अंतर्गत वित्तपोशित परियोजनाओं को जेआईसीए की सामान्य निबंधनों एवं भार्तों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना है। ये भार्तें http://www.jica.go.jp/English/our_work/types_of_assistance/oda_loans/standard/index.html पर उपलब्ध हैं। ऋण जापानी येन में होगा। अप्रैल 2014 से लागू ब्याज की नई दरें निम्नानुसार हैं :

| निबंधन | | | ब्याज दर (प्रति ात प्रति वर्श) | भुगतान अवधि (वर्शों की संख्या) | प्रारंभिक ऋण स्थगन (वर्शों की संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य निबंधन | फिक्स्ड | स्टैंडर्ड | 1.40 | 30 | 10 |
| | | विकल्प 1 | 0.80 | 20 | 6 |
| | | विकल्प 2 | 0.70 | 15 | 5 |
| | परिवर्ती | स्टैंडर्ड | जेपीवाई लिबोर–10बीपी | 30 | 10 |
| | | विकल्प 1 | जेपीवाई लिबोर–30बीपी | 20 | 6 |
| | | विकल्प 2 | जेपीवाई लिबोर–12बीपी | 15 | 5 |
| अधिमानित निबंधन | फिक्स्ड | स्टैंडर्ड | 0.30 | 40 | 10 |
| | | विकल्प 1 | 0.25 | 30 | 10 |
| | | विकल्प 2 | 0.20 | 20 | 6 |
| | | विकल्प 3 | 0.15 | 15 | 5 |
| | परिवर्ती | स्टैंडर्ड | जेपीवाई लिबोर–133बीपी | 40 | 10 |
| | | विकल्प 1 | जेपीवाई लिबोर–123बीपी | 30 | 10 |
| | | विकल्प 2 | जेपीवाई लिबोर–89बीपी | 20 | 6 |
| | | विकल्प 3 | जेपीवाई लिबोर–66बीपी | 15 | 5 |

3. परियोजना के परामर्ा भाग के लिए ब्याज दर 0.01 प्रति ात प्रति वर्श होगी। जापान सरकार ने ऋण की 0.2 प्रति ात फ्रोंट एंड फी लागू की है। फ्रोंट एंड फी पूर्व के कमिटमेंट चार्ज की जगह एक बार की फीस होगी। पूर्व की कैपिटेलाइजे ान पद्धति की जगह जेआईसीए को निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) और फ्रोंट एंड फी का भुगतान नकद करना होगा।

पावती सं0 : 58198/2015/कार्या. सचिव (डीडब्ल्यूएस)

4. चुनिंदा परियोजनाओं के लिए जेआईसीए ऋण राज्य सरकारों को बैक–टू–बैक आधार पर अंतरित कर दिया जाएगा। वि ोश श्रेणी के राज्यों के मामले में ऋण 90:10 अनुदानःऋण आधार पर अंतरित किया जाएगा। स्टेट सेक्टर में प्रस्ताव राज्य की वार्शिक योजना 2015–16 में भाामिल हों और ऋण सस्टेनेबिलिटी दृश्टिकोण से व्यय विभाग द्वारा पास कर दिया गया हो। उत्तर–पूर्व राज्यों के प्रस्तावों के मामले में प्रस्ताव उत्तर–पूर्व क्षेत्र के विकास विभाग के माध्यम से भेजे जाएँ।

5. यह अनुरोध है कि मंत्रालय/विभाग राज्य सरकारों से निर्धारित प्रपत्र (प्रतिलिपि संलग्न) में जेआईसीऐ ओडीए ऋण के प्रस्ताव मंगाएँ और उनकी फरवरी, 2015 के अंत तक अनु ांसा करें। यह भी अनुरोध है कि जेआईसीए रोलिंग प्लान में पहले ही भाामिल प्रस्तावों बनाम ताजा प्रस्तावों की दृश्टि से उनको प्राथमिकता भी दें । जेआईसीए रोलिंग प्लान में पहले ही भाामिल प्रस्तावों की एक सूची संलग्न है। प्राथमिकता सूची में तुरंत कार्यान्वयन के लिए तैयार मैच्योर प्रस्ताव हो सकते हैं। इस प्रकार की तैयारी में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, उसका तकनीकी मूल्यांकन और अपेक्षित सरकारी अनुमतियॉ भाामिल हों। लाइन मंत्रालयों से अनुरोध है कि वे राज्य सरकारों/परियोजना प्राधिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर डीईए को भेजे दें।

6. हम आपके प्रस्ताव फरवरी 2015 तक प्राप्त होने की आ ाा करते हैं।

हस्ता/–
राजे ा खुल्लर
संयुक्त सचिव (एबीसी)
टेलीफोन : 23093881
फैक्स : 23092024

कृशि एवं सहकारिता विभाग
(श्री आ ीश बहुगुणा, सचिव)
कृशि भवन, नई दिल्ली

नागर विमानन मंत्रालय
(श्री वी सोमासुंदरम्, सचिव)
राजीव गॉधी भवन, नई दिल्ली ।

फाइल सं0 डब्ल्यू–11031/8/2015–जल 2

पावती सं0 : 58198/2015/कार्या. सचिव (डीडब्ल्यूएस)

कृशि एवं सहकारिता विभाग
(श्री आ ीश बहुगुणा, सचिव)
कृशि भवन, नई दिल्ली

नागर विमानन मंत्रालय
(श्री वी सोमासुंदरम्, सचिव)
राजीव गॉधी भवन, नई दिल्ली

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
(श्री अमिताभ कांत, सचिव)
उद्योग भवन, नई दिल्ली

दूरसंचार विभाग
(श्री राके ा गर्ग, सचिव)
संचार भवन
20 अ ोक रोड, नई दिल्ली

इलेक्ट्रॉनिकी उएवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
(श्री राम सेवक भार्मा, सचिव)
इलेक्ट्रॉनिक्स भवन, नई दिल्ली।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(श्री अ ोक लवासा, सचिव)
पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
(पर्यावरण एवं वन क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए)

वित्तीय सेवाऍ विभाग
(श्री हसमुख अधिया, सचिव)
जीवनदीप बिल्डिंग, नई दिल्ली

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
(श्री लव वर्मा, सचिव)
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

फाइल सं0 डब्ल्यू–11031/8/2015–जल 2

पावती सं0 : 58198/2015/कार्या. सचिव (डीडब्ल्यूएस)

उच्च ि ाक्षा विभाग
(श्री सत्यनारायण मोहांती, सचिव)
भाास्त्री भवन,
नई दिल्ली

आवास एवं भाहरी निर्धनता उप ामन मंत्रालय
(सुश्री अनीता अग्निहोत्री, सचिव)
निर्माण भवन
नई दिल्ली।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय,
(श्री मधम लाल, सचिव)
उद्योग भवन,
नई दिल्ली

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
(श्री उपेन्द्र त्रिपाठी, सचिव)
सीजीओ कंप्लेक्स,
नई दिल्ली

पावर मंत्रालय,
(श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, सचिव)
श्रम भाक्ति भवन
नई दिल्ली

सड़क परिवहन एवं महामार्ग मंत्रालय,
(श्री विजय छिब्बर, सचिव)
परिवहन भवन
नई दिल्ली

रेल मंत्रालय
(श्री अरुणेन्द्र कुमार, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड)
रेल भवन, नई दिल्ली

फाइल सं0 डब्ल्यू–11031/8/2015–जल 2

पावती सं0 : 58198/2015/कार्या. सचिव (डीडब्ल्यूएस)

ग्रामीण विकास विभाग
(श्री एल सी गोयल, सचिव)
कृशि भवन
नई दिल्ली
भूमि स्रोत विभाग
(सुश्री वंदना कुमारी जेना, सचिव)
निर्माण भवन, एनबीओ बिल्डिंग, नई दिल्ली

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
(श्रीमती विजयलक्ष्मी जो ाी, सचिव)
पर्यावरण भवन, सीजीओ कंप्लेक्स,
नई दिल्ली

पोत परिवहन मंत्रालय
(श्री राजीव कुमार, सचिव)
परिवहन भवन, नई दिल्ली

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
(श्री के विजय राघवन, सचिव)
टेक्नोलॉजी भवन,
न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली

वस्त्रादि मंत्रालय
(श्री संजय कुमार पंडा, सचिव)
डद्योग भवन
नई दिल्ली

पर्यटन मंत्रालय
(श्री लाली के पंवार, सचिव)
भाास्त्री भवन,
नई दिल्ली

जनजाति मामले मंत्रालय
(श्री ऋशिके ा पंडा, सचिव)
भाास्त्री भवन, नई दिल्ली

फाइल सं0 डब्ल्यू–11031/8/2015–जल 2

पावती सं0 : 58198/2015/कार्या. सचिव (डीडब्ल्यूएस)

भाहरी विकास मंत्रालय
(श्री भांकर अग्रवाल, सचिव)
निर्माण भवन,
नई दिल्ली
(यूटी और जलपूर्ति परियाजनाओं के लिए)

ज्ल स्रोत, नदी विकास और गंगा पुनर्नवीकरण मंत्रालय
(श्री अनुज कुमार बि ानाई, सचिव)
श्रम भाक्ति भवन
नई दिल्ली

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
(श्री विनय भील आबराय, सचिव)
भाास्त्री भवन, नई दिल्ली

कौ ाल विकास एवं उद्यमिता विभाग
(श्री सुनील अरोड़ा, सचिव)
भाास्त्री भवन
नई दिल्ली

प्रतिलिपि :
श्री आर विजयकुमार, सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
विज्ञान भवन, नई दिल्ली।

फाइल सं0 डब्ल्यू–11031/8/2015–जल 2

पावती सं0 : 58198/2015/कार्या. सचिव (डीडब्ल्यूएस)

5.1.2015 को जेआईसीए रोलिंग प्लान की सूची

| क्रम संख्या | परियोजना का नाम | राज्य/सेक्टर | कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| | पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय | | |
| 1 | बहु ग्राम ग्रामीण जल पूर्ति योजना | एमपी/स्टेट सेक्टर | 2200 |

फाइल सं0 डब्ल्यू–11031/8/2015–जल 2

पावती सं0 : 58198/2015/कार्या. सचिव (डीडब्ल्यूएस)

द्विपक्षीय वित्तीय सहयोग के लिए प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट
तैयार करने के लिए प्रोफार्मा

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | भाग 1 : प्रोजेक्ट सारां ा | | | | | |
| 1 | परियोजना का नाम | | | | | |
| 2 | परियोजना का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी | | | | | |
| 3 | | | केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना | | राज्य क्षेत्र की परियोजना | |
| | परियोजना का सेक्टरल एरिया | | | | | |
| | केंद्रीय लाइन मिनिस्ट्री/ प्र ाासकीय राज्य सरकार | | | | | |
| 4 | परियोजना का स्थान (जिलों के नाम लिखें) | | | | | |
| 5 | परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि | | | | | |
| 6 | कुल अनुमानित लागत के घटक (करोड़ रुपयों में) | | | | | |
| | स्रोत | ऋण/क्रेडिट | अनुदान | इक्विटी | अन्य (कृपया उल्लेख करें) | कुल |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | कुल अनुमानित लागत | | | | | (उपर्युक्त का जोड़) |
| 7 | प्रस्तावित कुल द्विपक्षीय विकास सहायता (रुपये और डोनर करंसी दोनों में लिखें। कृपया सहायता के लिए एजेंसी का नाम लिखें। अतिरिक्त तकनीकी सहयोग, यदि कोई हो, और तकनीकी सहयोग के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित गतिविधियॉ भी लिखें ) | | | | | |
| 8 | पूर्व के चरणों, यदि कोई हों, का विवरण। क्या पूर्व के चरण के लिए कोई इम्पैक्ट मूल्यांकन किया गया है? | | | | | |
| | भाग 2 : प्रोजेक्ट डिजाइन एवं आउटपुट | | | | | |
| 9 | क्या परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अलग से कोई संस्थागत प्रबंध करने की जरूरत है? यदि हॉ, तो विवरण दें और उसकी स्थापना का समय भी बताएँ। | | | | | |
| 10 | क्या कोई व्यवहार्यता अध्ययन/पूर्व–मूल्यांकन/निवे ा–पूर्व अध्ययन किया गया है? यदि हॉ, तो परिणामों का विवरण दें। | | | | | |
| 11 | परियोजना के मुख्य उद्दे य और लक्षित जनसंख्या एवं परियोजना के परिणाम सहित क्वांटीफायेबल आउटपुट | | | | | |
| 12 | क्या परियोजना किसी वर्तमान सरकार योजना/कार्यक्रम/बहुपक्षीय/द्विपक्षीय सहायता/अन्य सहायता के अंतर्गत कवर्ड है? | | | | | |
| 13 | क्या परियोजना कार्यान्वयन और व्यवहार्यता के लिए केंद्र/राज्य सरकार से कोई सब्सिडी मांगी गई है? यदि हॉ तो स्रोत बताएँ। | | | | | |
| 14 | इसी प्रकार की पूर्ण अथवा चालू परियोजनाओं के साथ लिंक | | | | | |
| | क्रम संख्या | परियोजना का नाम | कार्यान्वयन अवधि | क्वांटिफायेबल आउटकम/प्राप्त/लक्षित | परियोजना की कुल लागत (करोड़ रुपयों में) | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | चालू | | | |
| | | प्रस्तावित | | | |
| | | पूर्ण | | | |
| 15 | द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता से वित्तपोशित लोगतों का विवरण अनुलग्नक में दिया जाए। घटकों में सामग्रियॉ/उपकरण/निर्माण, बाहर की एजेंसी से कार्मिक/वि ोशज्ञ, मूल्य वृद्धि, भौतिक कंटिंजेंसी, पराम र्ी सेवाऍ, भूमि अधिग्रहण, प्र ासन लागत, वैट और अन्य टैक्स ऋण पर ब्याज का भुगतान, फ्रोंट एंड फी और अन्य, यदि कोई हों, बताऍ। प्रत्येक घटक के लिए कुल लागत के प्रति ात सहित बताऍ। | | | | |
| 16 | प्रस्तावित द्विपक्षीय विकास सहायता के वर्शवार उपयोग सहित क्वाटिफायेबल और गुणतापरक (वेरीफायेबल) टारगेट संसूचकों सहित विस्तृत वर्शवार भौतिक एवं वित्तीय टारगेट प्लान | | | | |
| 17 | क्या परियोजना में प्राइवेट सेक्टर अथवा एनजीओ की भागीदार प्रस्तावित है? यदि हॉ, तो प्रस्तावित भागीदारी की प्रकृति बताऍ और यह बताऍ कि कार्य सरकारी एजेंसियों द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता? | | | | |
| 18 | इन पर प्रभाव (क) भूमि, जल, वायु, जैवविविधता इत्यादि सहित पर्यावरण (ख) महिलाऍ एवं बच्चे (ग) रोजगार (घ) निर्धनता उन्मूलन और (ड.) उत्पादकता एवं आर्थिक विकास | | | | |
| | भाग 3 : अपेक्षित क्लीयरेंसिज | | | | |
| 19 | परियोजना के कार्यान्वय के लिए अपेक्षित वैधानिक क्लीयरेंसों का विवरण। क्लीयरेंस प्राप्त करने की स्थिति और क्लीयरेंस की समयावधि बताऍ, जिसमें र्प्यापवरण पर प्रभाव के मूल्यांकन की क्लीयरेंस और वन संबंधी क्लीयरेंस, यदि अपेक्षित हो, भाामिल हो। | | | | |
| 20 | स्टेट सेक्टर परियोजना के लिए व्यय विभाग से ऋण सस्टेनेबिलिटी क्लीयरेंस का विवरण | | | | |
| 21 | क्या परियोजना में भू–अधिग्रहण किया जाना है ? यदि हॉ, तो बताऍ :<br>• अधिगृहीत की जाने वाली कुल भूमि<br>• अब तक वास्तव में अधिगृहीत भूमि<br>• भूमि अधिगृहण की लक्षित तिथि<br>• क्या अधिगृहण प्राधिकरण द्वारा किसी ऐसे कानूनी मामले अथवा बाधा का सामना करना पड़ रहा है जिससे लक्षित तिथि आगे बढ. सकती है? यदि हॉ तो विवरण दें। | | | | |
| 22 | क्या परियोजना में पुनर्वास भाामिल है? यदि हॉ तो इसकी मात्रा, लागत और योजना की वर्तमान स्थिति बताऍ | | | | |

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के प्रमुख के हस्ताक्षर
मोहर एवं तिथि सहित

फाइल सं0 डब्ल्यू–11031/8/2015–जल 2

पावती सं0 : 58198/2015/कार्या. सचिव (डीडब्ल्यूएस)

परिि ाश्ट – 4

डीओई ओएम सं0 1(2)–पीई।।/03, दिनांक 7 मई 2003

डीपीआर का जेनरिक स्ट्रक्चर

i. संदर्भ/पृश्ठभूमि : इस खंड में सेक्टर/सब सेक्टर का संक्षिप्त विवरण, राश्ट्रीय प्राथमिकता, कार्यनीति और नीतिगत ढॉचे क साथ वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण हो।

ii. निपटाई जाने वाली समस्याऍ : इस खंड में परियोजना/योजना के माध्यम से स्थानीय/क्षेत्रीय/राश्ट्रीय स्तर, जैसी भी स्थिति हो, की समस्याओं के बारे में विवरण हो। समस्याओं की प्रकृति और मात्रा के बारे में साक्ष्य दिया जाए जो बेसलाईन डैटा/सर्वे/रिपोर्टों के आधार पर हो। निपटाई जाने वाली समस्याओं की प्रकृति और मात्रा के बारे में स्पश्ट साक्ष्य उपलब्ध हो।

iii. परियोजना के उद्दे य : इस खंड में महत्ता के क्रम से प्राप्ति के लिए प्रस्तावित विकास उद्दे य हों। प्रत्येक विकास उद्दे य के लिए डिलीवरेबल/आउटपुट स्पश्ट रूप से बताया जाए। इस खंड में परियोजना का सामान्य विवरण भी दिया जाए।

iv. लक्षित लाभभोगी : लक्षित लाभभोगियों की स्पश्ट पहचान हो। हितधार वि लेशण किया जाए, जिसमें परियोजना बनाने के समय हितधारकों के साथ पराम र्श भाामिल हो। लाभ बंटाने और लाभभोगी की भागीदारी के विकल्प ढूंढे जाऍ और परियोजना में भाामिल किए जाऍ। परियोजना का समाज के कमजोर वर्ग पर प्रभाव, चाहे वह सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक, का मूल्यांकन किया जाए और नकारात्मक प्रभाव के मामले में सुधारात्मक सुझाव दिए जाऍ।

v. परियोजना कार्यान्वयन नीति : इस खंड में विकास के उद्दे य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध विकल्पी कार्यनीतियों का वि लेशण किया जाए। प्रस्तावित कार्यनीति का चयन करने के कारण बताए जाऍ। एनजीओ की भागीदारी पर विचार किया जाए। स्थानों के प्राथमिकीकरण के आधार (जहॉ उचित हों) बताए जाऍ। सरकारी निधियों को पब्लिक–प्राइवेट भागीदार के माध्यम से लीवरेज करने के विकल्प और अवसर गंभीरता से सोचे जाऍ।

vi. विधिक ढॉचा : इस खंड में वह विधिक ढॉचा बताया जाए जिसमें परियोजना कार्यान्वित की जाएगी और यदि विधिक ढॉचा परियोजना के उद्दे य प्राप्त करने पर प्रभाव डालता है तो उसकी अच्छाइयॉ और कमजोरियॉ बताई जाऍ।

vii. प्र्यावरण पर प्रभाव का मूल्यांकन : जहॉ अपेक्षित हो, पर्यावरण पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए और प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हों, को समाप्त करने के उपाय बताए जाऍ। इस खंड में भूमि–अधिग्रहण, वन भूमि का डाइवर्सन, पुनर्वास और रीसेटलमेंट पर भी चर्चा की जाए।

viii. चलू पहलें : इस खंड में चालू पहलों के बारे में बताया जाए और वह तरीका बताया जाए जिस तरीके से काम के दोहरीकरण से बचा जा सके और प्रस्तावित परियोजना के माध्यम से सहक्रिया का निर्माण किया जाए।

ix. प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे : इस खंड में प्रौद्योगिकी संबंधी विकल्पों, यदि कोई हों, के बारे में तथा विकल्पों के मूल्यांकन के साथ–साथ प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी के चयन के आधार बताए जाएँ।

x. मैंनेजमेंट प्रबंध : परियोजना के प्रबंध और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों की जिम्मदारियॉ बताई जाएँ । विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढॉचे के साथ मॉनिटरिंग और समन्वयन प्रबंध बताए जाएँ।

xi. वित्त पोशण के साधन और परियोजना का बजट : इस खंड में वित्त पोशण के साध, विकल्पों के मूल्यांकन, परियोजना के बजट, लागत अनुमानों और व्यय को चरणबद्ध करने के बारे में बताया जाए। लागत के बंटवारे और लागत वसूली (उपयोगकर्ता भाुल्क) के विकल्पों पर विचार किया जाए और परियोजना की कुल लागत में भाामिल किए जाएँ। अवसंरचना वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन ऋण वित्त पोशण की लागत और ऋण की अवधि के आधार पर किया जाए। निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से निधियॉ जुटाने के विकल्पों पर भी विचार किया जाए और परियोजना की लागत में भाामिल किए जाएँ।

xii. समय–सीमा : इस खंड में कार्य आरंभ करने की प्रस्तावित 'जीरो' तिथि बताई जाए और जहॉ कहीं उचित हो, एक पीईआरटी/सीपीएम चार भी उपलब्ध कराया जाए।

xiii. जोखिम वि लेश्याण : इस खंड में परियोजना के जोखिमों की पहचान और उनके मूल्यांकन पर बल दिया जाए और इस बात पर भी विचार किया जाए कि इन्हें किस प्रकार समाप्त किया जाए। जोखिम वि लेशण में विधिक/सांविदिक जोखिम, पर्यावरणीय जोखिम, राजस्व संबंधी जोखिम, परियोजना प्रबंध संबंधी जोखिम, विनियामक जोखिम आदि भाामिल हो सकते हैं।

xiv. मूल्यांकन : इस खंड में भूतकाल में कार्यान्वित ऐसी ही परियोजनाओं के मूल्यांकन से सीखे गए सबकों पर बल हो। परियोजना के मूल्यांकन के लिए प्रबंध, चाहे वे समसामयिक हों, मध्यावधि हों अथवा परियोजना के बाद के हों, बताए जाएँ। यह नोट किया जाए कि स्वतंत्र, गंभीर मूल्यांकन के बिना परियोजनाओं/योजनाओं के एक योजना अवधि से दूसरी योजना अवधि में जारी रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

xv. सफलता के मानदंड : विकास के उद्दे यों की प्राप्ति के मूल्यांकन के लिए सफलता के मानदंड स्पश्ट रूप में बताए जाएँ। बेस लाइन डैटा उलब्ध हो जिनके विरुद्ध परियोजना के अंत में उसकी सफलता का मूल्यांकन किया जाएगा। इस संबंध में यह अनिवार्य है कि बड़ी, लाभभोगी–अभिमुख परियोजनाओं के लिए बेसलाईन सर्वे किए जाएँ।

xvi. वित्तीय एवं आर्थिक वि लेशण : जहॉ वित्तीय रिटर्न की मात्रा बताई जा सके वहॉ परियोजना का वित्तीय एवं आर्थिक वि लेशण किया जाए। इस वि लेशण की आव यकता आम तौर पर निवे ा और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए होगी परंतु सामाजिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं के लिए सभी व्यवहार्य न भी हों जहॉ लाभों को आसानी से नहीं बताया जा सकता।

पावती सं0 : 58198/2015/कार्या. सचिव (डीडब्ल्यूएस)

xvii. सस्टेनेबिलिटी : इस खंड में सस्टेनेबिलिटी से संबंधित मुद्दे, जिनमें हितधारक की वचनबद्धता, परियोजना की पूर्णता के बाद संपत्तियों के परिचालन और रख–रखाव तथा अन्य संबंधित मुद्दे भाामिल हों, हों।

टिप्पणी : डीपीआर तैयार करते समय ईएफसी/पीआईब फोरमैट की आव यकता का भी ध्यान रखा जाए।

का. ज्ञा. 1(2)–पीई II/03, दिनांक 7 मई, 2003

पावती सं0 : 58198/2015/कार्या. सचिव (डीडब्ल्यूएस)

परि ाष्ट 5

मैट्रिक्स की रूप–रेखा

| कार्यनीति | संसूचक | स्रोत/सत्यापन के साधन | अनुमान/जोखित |
|---|---|---|---|
| लक्ष्य<br>(सरकारी प्राथमिकता/कार्यक्रम/नीति से लिंक्ड अप) | | | |
| उद्दे य<br>(प्रयोजन/वांछित लाभ) | | | |
| आउटपुट/परिणाम<br>(माल/सेवाएँ/सामग्रियॉ/प्रत्याि ात परिवर्तन जो लक्षित जनसंख्या को मिलेंगे, जिन्हें वह परियोजना की दखल के बिना अपने आप प्राप्त नहीं कर सकते) | | | |
| गतिविधियॉ<br>(मानव, वित्तीय, उपकरणों इत्यादि संबंधी स्रोतों के उपयोग द्वारा किए जाने वाले कार्य) | निवे ा/लागत | | |